मु0न0:– 07/2023

उनवानः–छोटू बनाम बहादुर

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

तारीख रजूः– 30.06.2023

मु0न0 07/23

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. छोटूराम उर्फ छोटेलाल पुत्र रामकिशन मीना
2. केदार पुत्र रामकिशन मीना
3. ग्यारसा पुत्र रामकिशन मीना
4. जनकराज पुत्र रामकिशन मीना
5. प्यारसिह पुत्र छोटेलाल मीना
6. मन्दूराम उर्फ गोपीसहाय मीना

समस्त जातियान मीना निवासी तूमापुरा तहसील टोडाभीम।

(प्रार्थी)

बनाम

बहादुर पुत्र रामअवतार जाति मीना निवासी पहाडी तहसील टोडाभीम।

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी

उपस्थिति :– श्री विजयभारती एडवोकेट (प्रार्थीगण)
श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांकः– 22.07.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत पत्थर गढी का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तूमापुरा की आराजी ख0न0 3955/0.36, 3959/0.17 कुल किता 2 कुल रकवा 0.53 है0 मे प्रार्थीगण सम्पूर्ण हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिससे अप्रार्थी का कोई सरोकार किसी प्रकार का नही है। परन्तु प्रार्थीगण की उक्त भूमि के लगवा है, जिसे लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य आये दिन डोल मेढ को लेकर विवाद बना रहता है।

उक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2023 को किया जाकर मौके पर निशानात कायम किये गये, परन्तु अप्रार्थी ने लगाये गये निशानातो को मिटा दिया है। तथा प्रार्थीग्ण द्वारा मना करने पर झगडा करने पर आमदा हो जाता है अप्रार्थी झगडालू किस्म का व्यक्ति है, ऐसी स्थिति मे पुलिस इमदाद से पत्थर गढी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ख0न0 3955/0.36, 3959/0.17 कुल किता 2 कुल रकवा 0.53 है0 ग्राम तूमापुरा का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2023 के पुलिस इमदाद से पत्थर गढी करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया है कि प्रार्थीगण [illegible] वर्णित आराजीयात ख0न0 3959 रकवा 0.17 है0 गै0मु0 रास्ते की भूमि है, जिसकी कानूनन पत्थर गढी नही की जा सकती, क्योकि उक्त भूमि कृषि कार्य मे उपयोग नही आकर [illegible] के रूप मे काम आ रही है। प्रार्थीगण की भूमि के लगवा ख0न0 3959, 3963, 3956, [illegible]4, 3953, 3948 स्थित है। जिनके खातेदारो को पक्षकार नही बनाया है, जबकि प्रार्थीग्ण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अनुतोष मे स्वंय की भूमि ख0न0 3955, 3959 की पत्थरगढी करवाये जाने का अनुतोष मांगा है। जबकि कानूनन जिस खसरा नम्बर की पत्थर गढी के आदेश न्यायालय से करवाने से पूर्व विवादित भूमि के चारो तरफ के खातेदारो को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:08:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

जाकर पक्षकारो को सुना जाना आवश्यक है, लेकिन प्रार्थीग्ण द्वारा पडौसी खातेदारो को पक्षकार नही बनाये जाने के कारण प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम तूमापुरा की आराजी ख0न0 3955/0.36, 3959/0.17 कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है0 मे प्रार्थीगण सम्पूर्ण हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिसमे अप्रार्थी का कोई सरोकार किसी प्रकार का नही है। परन्तु प्रार्थीगण की उक्त भूमि के लगवा ... जिसको लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य आये दिन डोल मेढ को लेकर विवाद बना रहता है। प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर झगडा करने पर आमदा हो जाता है अप्रार्थी झगडालू किस्म का व्यक्ति है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर किया जाकर ख0न0 3955/0.36, 3959/0.17 कुल किता 2 कुल रकवा 0.53 है0 ग्राम तूमापुरा का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2023 के पुलिस इमदाद से पत्थर गढी करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:08:29 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ख0न0 3959 रकवा 0.17 है0 गै0मु0 रास्ते की भूमि है, जिसकी कानूनन पत्थर गढी नही की जा सकती, क्योकि उक्त भूमि कृषि कार्य मे उपयोग नही आकर रास्ते के रूप मे काम आ रही है। प्रार्थीगण की भूमि के लगवा ख0न0 3959, 3963, 3956, 3954, 3953, 3948 स्थित है। जिनके खातेदारो को पक्षकार नही बनाया है, जबकि प्रार्थीग्ण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अनुतोष मे स्वंय की भूमि ख0न0 3955, 3959 की पत्थरगढी करवाये जाने का अनुतोष मांगा है। जबकि कानूनन विवादित भूमि के चारो तरफ के खातेदारो को सुना जाना आवश्यक है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली मे शामिल फर्द मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत पत्रावली मे शामिल फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.06.2023 का अवलोकन किया, जिसमे तूमापुरा की आराजी ख0न0 3955, 3959 का सीमाज्ञान राजस्व कार्मिको की टीम के द्वारा आवेदकगण (प्रार्थीगण) की उपस्थिति मे सीमाज्ञान किया गया है। चुकि उक्त खसरा नम्बरान का प्रार्थीगण को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है तथा मुताबिक सीमाज्ञान ही प्रार्थीगण पत्थर गढी करवाना चाहते है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थर गढी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2023 के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थर गढी शुल्क तहसील कार्यालय मे जमा किये जाने पर ग्राम तूमापुरा की आराजी ख0न0 3955/0.36, 3959/0.17 कुल किता 2 कुल रकवा 0.53 है0 की पत्थर गढी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.06.2023 के अनुसार करवाई जावे। यदि मौके पर पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो थानाधिकारी टोडाभीम से आवश्यक पुलिस इमदाद लेकर पत्थर गढी करवाये। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला गंगापुर सिटी

टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी